न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्या 13/2013 (रैफरैन्स–82 एल आर एक्ट)

रामेश्वर दास पुत्र बाबूलाल निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मंगती (मृतक)

1/1 विमला देवी पुत्री मंगती पत्नी रामभरोसी जाति ब्राहमण निवासी पोस्ट आफिस के पास कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

1/2 श्रीमती प्रभादेवी पुत्री मंगती पत्नी ओमप्रकाश शर्मा राजीवाला बाग बयाना जिला भरतपुर।

2. विशनलाल (मृतक)

2/1 गोविन्द शरण, 2/2 गोपाल } पिसरान विशनलाल जाति ब्राहमण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

3. रमेश (मृतक)

3/1 चन्द्रभान पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राहमण निवासी ब्रहमपुरी का खुरी पटिया जयपुर।

4. दामोदर (मृतक)

4/1 श्रीराम, 4/2 सीताराम } पिसरान दामोदर लाल जाति ब्राहमण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

5. वासुदेव, 6. मोहनलाल, 7 मनोहरलाल } पिसरान बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

8. राधेश्याम पिसरान रतनलाल जाति ब्राहमण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

9. यादराम (मृतक)

9/1 राजीव, 9/2 संजीव } पिसरान यादराम जाति ब्राहमण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

9/3 शकुन्तलाल बेबा यादराम, 9/4 पूनम पुत्री यादराम } जाति ब्राहमण कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

10. सतीशचन्द, 11. नरेन्द्र कुमार } सोहनलाल

12. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत ख0नं0 1342, 1345, 1347 गैर मुमकिन रास्ता व मरघट कस्बा भुसावर पर खिलाफ कानून अमल काश्त खातेदारी।

उपस्थिति : 1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील प्रार्थी।
2. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी वकील अप्रार्थीगण।

सत्यमेव जयते
Web copy Not Official

निर्णय

दिनांक : 13.4.2018

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि खसरा नम्बर 1342/0.13, 1345/2.14, 1347/14.15 किता 3 गैरमुमकिन मरघट व रास्ता वाकै कस्बा भुसावर पर हुये अवैधानिक अमल खातेदारी बनाम विपक्षीगण 1 लगायत 11 को निरस्त कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन मरघट व रास्ता अमल किया जावे। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह प्रकरण पूर्व में न्यायालय हाजा से रैफरेस सं0 44/83 निर्णय दिनांक 14.2.1985 से राजस्व मण्डल अजमेर को रैफर किया गया था । राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 5.7.1986 से पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया । राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 5.7.1986 की मंशा के अनुरूप प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्षकारान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। नियत दिनांक को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि खसरा नम्बर 1342, 1345, 1347 गैर मुमकिन रास्ता व मरघट के है और इसी के प्रयोग में सार्वजनिक उपयोग में आते रहे हैं। लेकिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 ने खिलाफ कानून अपने को कागजात पटवार में खातेदार अंकित करा लिया है। बिना किसी आधार के गैर सायलान द्वारा खातेदारी प्राप्त की गई है जो न्यायोचित नहीं है। गैर मुमकिन मरघट एवं गैर रास्ते की भूमि पर किसी के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। न तो ऐसा कोई आदेश और ना ही कोई नामान्तरकरण है जिसके द्वारा कागजात पटवार में अमल हुआ है। यह समस्त कार्यवाही स्थानीय राजस्व अधिकरियों द्वारा की गई है जो अवैधानिक है इसलिऐ निरस्त योग्य है। जिसकी बाबत कानूनी कार्यवाही जेरे दफा 82 एलआरएक्ट होना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में वकील सायल द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 1342/0.13, 1345/2.14, 1347/14.15 किता–3 वाकै कस्बा भुसावर पर हुये अवैधानिक अमल खातेदारी बनाम विपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 11 को निरस्त फरमाया जावे और उक्त नम्बरान को मिसिल साविक गैर मुमकिन रास्ता व मरघट रखा जावे प्रार्थी का इन नम्बरों से व्यक्तिगत कोई हित व स्वार्थ निहित नहीं है सार्वजनिक प्रयोग में आने वाले ऐसा ही प्रार्थी चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। गैर सायलान संख्या 1 लगायत 11 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने हेतु यह रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रेफरेंस से इन्कार करते हुए जाहिर किया कि प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। वकील गैर सायलान का कथन है कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में एवं मौके पर भी न तो मरघट है न ही कोई रास्ता है वास्तविकता यह है कि यह भूमि गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है राजस्व रिकार्ड में गैर सायलान के इन्द्राज वकायदा नियमानुसार दर्ज है। इस आराजी के संबध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 का एप्लीकेशन होने के कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा वकील गैर सायलान का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा भूमिधारी तहसीलदार भुसावर को पार्टी भी नहीं बनाया गया है। यह रैफरेंस प्राईवेट पक्षकारों के मध्य है इसलिऐ रैफरेंस मेन्टेबल ही नहीं है। प्रस्तुत रैफरेंस खातेदारी निरस्त कराने के लिये पेश किया है जो 82 एलआरएक्ट के तहत

नहीं हो सकती उन्हें नियमित वाद लाना चाहिऐ था यदि आवंटन गलत हुआ है तो प्रार्थना पत्र 14(4) लाना चाहिऐ था। किन्तु प्रार्थी ने ऐसा न कर नियम विरूद्ध रैफरेंस पेश किया है । इसके अलावा रैफरेंस में किसी भी त्रुटीयुक्त आदेश का कोई हवाला नहीं दिया गया है न ही उस त्रुटीयुक्त आदेश की प्रमाणित छाया प्रति ही पेश की गई है। जबकि राज0भू0अधि0 1956 की धारा 82 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रैफरेंस किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त कराने का हवाला नहीं दिया गया है। न ही यह अंकित किया गया है कि आया अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी निर्णय आदेश, कार्यवाही का परीक्षण किया गया हो और बाद जांच यह पाया गया हो कि कब कौनसे, आदेश, निर्णय या कार्यवाही में अनियमितता हुई जिसके कि संबध में निरस्त कराने हेतु रैफरेंस पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। प्रार्थी द्वारा रैफरेंस के माध्यम से सीधे सीधे गैर सायलान की खातेदारी को चेलेन्ज किया है जो विधिविरूद्ध है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि यह रैफरेंस दुर्भावनावश किया गया है बिना किसी आधार के कानून के विपरीत है इसलिऐ प्रस्तुत रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर सायलान के वहैसियत खातेदार अंकित है। प्रार्थी द्वारा रैफरेंस के माध्यम से गैर सायलान के राजस्व रिकार्ड में हो रहे खातेदारी इन्द्राजों को कलमजन किये जाने की प्रार्थना की गई है किन्तु ऐसा कोई त्रुटीयुक्त आदेश दिनांक अथवा उसकी प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई जिसको बाद जांच अवैध माना जा सके। प्रार्थी को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से ऐसा कोई त्रुटीयुक्त आदेश साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर वर्तमान में हो रहे राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजों को गलत माना जा सके। हमारी विनम्र राय में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज स्वतः नहीं होते है और राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर अंकन प्रवृष्ठी की जाती है और जब तक उस आदेश को निरस्त नहीं करवाया जावे तब तक राजस्व अंकनों को रैफरेंस के माध्यम से समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा वहैसियत भूमिधारी तहसीलदार भुसावर को पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया गया है जिन पर भूमिधारी की हैसियत से अपने क्षेत्राधिकार में किसी त्रटीयुक्त आदेश के खिलाफ रैफरेंस तैयार कर अदालत हाजा के माध्यम से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रैफरेंस प्रस्तावित किये जाने का पूर्ण रूपेण दायित्व रहता है। ऐसी स्थिति में गैर सायलान के नाम वर्तमान इन्द्राजों को रैफरेंस के माध्यम से निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यह रैफरेंस संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य ही रहता है।

अतः आज्ञा है कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी उपरोक्त विवेचानुसार संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तहसीलदार भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में बाद परीक्षण यदि कोई विधिक त्रुटी पाते है तो नये सिरे से रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र रहते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील और तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.4.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर